

पेज संख्या 1/3
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 115/2017

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

सुखदेव पुत्र मंगलाराम जाति गुर्जर,
निवासी खारची, तहसील मारवाड
जंक्शन जिला पाली

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
भूमिधारी मारवाड जंक्शन



अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

--: निर्णय :-

दिनांक:- 11.04.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 04/2016 में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 09/2016 में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम खारची के खसरा नंबर 622 रकबा 0.0200 किस्म गै.मु नाडा की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 15.02.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 24.02.2016 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट पर बेदखली, जुर्माना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत किसी प्रकार की जांच नहीं की गई कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में परिलक्षित होता है अथवा नहीं? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य सबूत ही पत्रावली पर उपलब्ध थे। इस संबंध में हल्का पटवारी के बयान लिये गये किन्तु अपीलाण्ट को जिरह करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट का रिहायशी मकान पुराना स्थित है। जो पट्टाशुदा घीसाराम पुत्र मंगलाराम का है, जो अपीलाण्ट का भाई है। अपीलाण्ट के भाई का देहान्त हो चुका है व इसमें अपीलाण्ट व इन्द्रादेवी बेवा घीसाराम का सामलाती रहवास है, उक्त रहवास का मकान का पट्टा संख्या 3154 मिसल संख्या 244/97-98 दिनांक 20.06.

पेज संख्या 2/3

2001 का घीसाराम पुत्र मंगलाराम गुर्जर का बना हुआ है। उक्त भूमि आबादी भूमि है ग्राम पंचायत की भूमि है। तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा उक्त आराजी पर 91 की कार्यवाही गलत रूप से की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलान्ट को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरुद्ध है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया की कोई समीक्षा नहीं की तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्य एवं विधिक प्रक्रिया के विपरित जाकर जैर अपील आदेश पारित किये हैं। अतः अपील स्वीकार करावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।



सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खारची के खसरा नंबर 622 रकबा 0.0200 किस्म गै.मु नाडा की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलान्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये हैं। चूंकि अपीलान्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम खारची के खसरा नंबर 622 रकबा 0.0200 किस्म गै.मु नाडा की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का खारची द्वारा तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सुखदेव पुत्र मंगलाराम गुर्जर जाति साद द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 15.02.2016 की तारीख पेशी नियत की। उसके पश्चात दिनांक 15.02.2016 को अपीलान्ट स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। जिस पर आगामी पेशी दिनांक 22.02.2016 नियत की गई। उक्त पेशी पर हल्का पटवारी के बयान कलमबद्ध कराये गये। एवं पेशी दिनांक 24.02.2016 को नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 24.02.2016 द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। तहसीलदार मारवाड जंक्शन की पत्रावली की आदेशिका पर अपीलान्ट सुगनदास के स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को हस्तगत प्रकरण में होने वाली समस्त कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। किन्तु अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने कथनों के समर्थन में प्रकार से जवाब अथवा दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये। एवं जहां तक वादग्रस्त आराजी पर पट्टे का प्रश्न है तो अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई उज्र प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हाजा न्यायालय की अपील में वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि कि किस्म गै0मु0 नाडा है, जो

राजस्थान अपील प्राधिकारी
पाली

पेज संख्या 3/3

कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलान्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 04/2016 में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 09/2016 में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आशासम इन्दी) कारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली